तारीख हुक्म	हुक्म या कायवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे
5.11.19	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की जॉच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रहीस पुत्र गफूर खॉ जाति मुसलमान निवासी कचहरी रोड़ थाना निहालगंज धौलपुर व निसार पुत्र मुनीर खॉ जाति मुसलमान निवासी तलैया मोहल्ला थाना निहालगंज धौलपुर के द्वारा मस्जिद के बगल में खाली पड़ी सम्पत्ति पर बिना परमीशन व स्वीकृति के अवैध शौचालय का निर्माण किया गया है उक्त शौचालय से गली में रहने वाले एवं आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। जिससे न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है। जिसको हटवाया जाना अति आवश्यक है। इस बाबत् जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के द्वारा उक्त गैरसायलान के विरूद्ध 133 सीआरपीसी का एक इस्तगासा न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रकरण न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के क्षेत्राधिकार का है। उपखण्डाधिकारी धौलपुर प्रकरण की सुनवाई हेतु सक्षम है। तथा जिला पुलिस अधीक्षक ने भी एक इस्तगासा 133 सीआरपीसी का न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत किया है। एक ही प्रकरण की दो न्यायालय में सुनवाई न्यायहित में नहीं है। वकील प्रार्थी द्वारा भी प्रकरण को न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमति जताई है। अतः प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर को स्थानान्तिरत किया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रकरण न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण नम्बर से कम हो। (आर0के0 जायसवाल) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर	